न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–143 सन् 2016

अशोक कुमार सिंह वगै0.....वादीगण।

बनाम

चंद्रीका राय वगैरह.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 04.10.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 12.07.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 01 चंद्रीका राय की मृत्यु मुकदमा के दौरान हो गई है इस बात की जानकारी प्रतिवादी द्व ारा न्यायालय में दी गई है। वादी सं0 01 जो खुद मोकदमा के पैरवीकार है जिनकी तबियत खराब हो गई थी जिस कारण प्रतिवादी सं0 01 के वारिसानों का नाम की जानकारी नहीं हो सकी। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 01 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके स्थान पर उनके कानूनी वारिसान का नाम प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 01 चंद्रिका राय थे जिनकी मृत्यु मुकदमा के दौरान हो गई है। वादी प्रतिवादी सं0 01 का नाम वादपत्र से कलमजद करने तथा उनके कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 12.07.2023 को 500/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत बिहार सरकार के पक्ष के जमा करें।

वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।